न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा

पीठासीन अधिकारी : सुश्री पार्थवी, R.A.S.

प्रकरण संख्या : 63 / 21 **GCMS id :** 2021 / 101

1. श्रीमती राजरानी यादव पत्नी राजेश यादव, जाति यादव, निवासिनी 'श्रीफलम', केशवपुरा, रंगबाडी मेनरोड, कोटा जर्ये मुख्तारआम श्री राजेश यादव आत्मज श्री महावीर सिंह, निवासी 'श्रीफलम', केशवपुरा, रंगबाडी मेनरोड, कोटा

– (वादिनी)

बनाम

1. श्री रमेशचन्द शर्मा आत्मज श्री रामनारायण शर्मा, जाति ब्राहम्ण, निवासी ग्राम उम्मेदपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
2. राजस्थान राज्य, जर्ये तहसीलदार, तहसील पीपल्दा, जिला कोटा

– (प्रतिवादीगण)

वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
बाबत स्थायी निषेधाज्ञा

दिनांक : 29.10.2021

उपस्थिति : श्री घनश्याम नागर, वादी अभिभाषक

निर्णय

1- वादिनी की ओर से एक वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बाबत प्रदान करने स्थायी निषेधाज्ञा, पेश किया गया।

2- वादिनी द्वारा अपने वादपत्र में निवेदन किया गया कि –

≈ वादिनी की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी ग्राम रांवठा, पटवार हल्का भंवरिया, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की आराजी खसरा नम्बर 1204 / 235 रकबा 1.60 हैक्टर स्थित है।

≈ वादिनी की उक्त आराजी के नजदीक खसरा नम्बर 234 स्थित है जिसका खातेदार प्रतिवादी नम्बर–1 है। वादिनी व प्रतिवादी क्रम–1 अपने अपने खातेदारी की कृषि आराजी की भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे है।

≈ प्रतिवादी नम्बर–1 का वादिनी के खाते की आराजी से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं है। इसके बावजूद भी वह आये दिन वादिनी की भूमि पर कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा करता रहता है। इसी के चलते प्रतिवादी नम्बर–1 द्वारा दिनांक 29.06.2021 को वादिनी के खेत की मेड तोड कर लगभग 15 फीट आराजी पर कब्जा करने का प्रयास किया व धमकी दी। इसकी रिपोर्ट पुलिस थाना मण्डाना में दर्ज करवाई तथा बमुस्किल प्रतिवादी नम्बर–1 को वादिनी की जमीन पर कब्जा करने से रोका परन्तु प्रतिवादी नम्बर–1 के आचरण से ऐसा प्रतीत होता है कि वह कभी भी जबरन ताकत के बल पर वादिनी की उक्त जमीन पर कब्जा करने का प्रयास कर सकता है।

≈ वादिनी अपनी आराजी से दूर कोटा शहर में निवास करती है तथा प्रतिवादी नम्बर–1 ताकतवर व प्रभावशाली व्यक्ति है, जिसके सामने कोई बोलने वाला नहीं

है। इस कारण वादिनी के पास अन्य विकल्प नहीं होने से स्थायी निषेधाज्ञा के लिये यह वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है।

≈ वादिनी के लिये यह आवश्यक हो गया है कि माननीय न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर प्रतिवादी नम्बर–1 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करावे कि प्रतिवादी नम्बर–1, वादिनी को ग्राम रांवठा, तहसील लाडपुरा की आराजी खसरा नम्बर 1204/235 रकबा 1.60 हैक्टर व उसके किसी भाग की भूमि से बेदखल नहीं करें और कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदालखत व मजाहमत नहीं करें। वादिनी के खेत की मेड को तोडने और कब्जा करने का प्रयास नहीं करें।

≈ वाद कारण प्रतिवादी नम्बर–1 द्वारा वादिनी को उसकी भूमि की मेड तोडकर कब्जे में व्यवधान पैदा करने व भूमि से बेदखल करने की दिनांक 29.06.2021 को धमकी देने पर पैदा हुआ।

≈ उक्त वाद में मामला अर्जेन्ट एवं इमिजिएट रिलीफ से सम्बन्धित है। इस कारण प्रतिवादी नम्बर 2 को धारा 80 सीपीसी के तहत दो माह का नोटिस नहीं दिया गया है। वाद का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। वाद उचित न्याय शुल्क पर अवधि मध्य पेश है।

≈ अतः वाद पेश कर निवेदन है कि वादिनी के पक्ष में प्रतिवादीगण के खिलाफ इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा पगसारित की जावे कि प्रतिवादीगण, वादिनी के ग्राम रांवठा, तहसील लाडपुरा की आराजी खसरा नम्बर 1204/235 रकबा 1.60 हैक्टर के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदालखत व मजाहमत नहीं करें तथा उक्त भूमि को काश्त करने से नहीं रोकें। उक्त भूमि की मेड को तोडने और कब्जा करने का प्रयास नहीं करें। उक्त कृत्य न तो स्वयं करे और न अपने प्रतिनिधि द्वारा ही करावें।

3- न्यायालय में पेश वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी हेतु जर्ये पंजीकृत डाक सम्मन जारी किये गये। उक्त डाक की Track report के अनुसार Item Delivery Confirmed प्राप्त हो जाने तक भी प्रतिवादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। तदुपरान्त सम्यक तामील की घोषणा उपरान्त प्रतिवादीगण को लगातार उपस्थिति का अवसर दिये जाने के बावजूद भी प्रतिवादी क्रम–1 की ओर से किसी के भी न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के कारण आदेश 5 नियम 9(5) सीपीसी के अनुसार सम्यक तामील की घोषणा होने पर आदेश 9 नियम 6^{1}(क) सीपीसी के अनुसार प्रतिवादी क्रम 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में प्रतिवादी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही होने के फलस्वरूप कोई विवादित बिन्दु नहीं होने से तनकीयात कायम नहीं किये गये। वादी की ओर से साक्ष्य का शपथ पत्र पेश किया गया जिसमें वादपत्र के कथनों को दोहराते हुये वादपत्र की प्रार्थना अनुसार विवादित आराजी के लिये वादिनी के पक्ष में स्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया गया। प्रकरण में पेश किये गये दस्तावेज पर वादी अभिभाषक द्वारा प्रदर्श डाले गये।

4- प्रकरण पर विद्वान वादी अभिभाषक की एकपक्षीय बहस अन्तिम सुनी गई। वादी अभिभाषक ने अपनी बहस में वादपत्र के कथनों को दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम रांवठा, पटवार हल्का भंवरिया, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा में वादिनी की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 1204/235 रकबा 1.60 हैक्टर

वादिनी के खाते दर्ज रेकार्ड है। इसके नजदीक प्रतिवादी नम्बर–1 के खाते की आराजी खसरा नम्बर 234 स्थित है। दोनों अपने अपने खातेदारी की आराजी पर काबिज काश्त चले आ रहे है। प्रतिवादी नम्बर–1 वादिनी की भूमि पर कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा करता रहता है। दिनांक 29.06.2021 को भी वादिनी के खेत की मेड तोड कर लगभग 15 फीट आराजी पर कब्जा करने का प्रयास किया व धमकी दी जिसकी रिपोर्ट पुलिस थाना मण्डाना में दर्ज करवाई। प्रतिवादी नम्बर–1 ताकतवर व प्रभावशाली व्यक्ति है, जिसके सामने कोई बोलने वाला नहीं है। अतः प्रतिवादी नम्बर–1 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि प्रतिवादी नम्बर–1, वादिनी को ग्राम रांवठा, तहसील लाडपुरा की आराजी खसरा नम्बर 1204/235 रकबा 1.60 हैक्टर व उसके किसी भाग की भूमि से बेदखल नहीं करें और कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदालखत व मजाहमत नहीं करें। वादिनी के खेत की मेड को तोडने और कब्जा करने का प्रयास नहीं करें।

5- हमने वादिनी के अभिभाषक की एकपक्षीय बहस अन्तिम के कथनों पर मनन किया और पत्रावली उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का उनके गुणावगुण के आधार पर आद्योपान्त अवलोकन अध्ययन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 188 के अन्तर्गत अनुतोष प्राप्त करने के लिये वादी का विवादित आराजी का खातेदार होना आवश्यक है। प्रस्तुत प्रकरण में वादिनी विवादित आराजी खसरा नम्बर 1204/235 रकबा 1.60 हैक्टर की अभिलिखित काश्तकार खातेदार है। प्रतिवादी द्वारा वादिनी की आराजी पर बनी मेड तोडने से प्रभावित होकर वादिनी को भय है कि प्रतिवादी नम्बर–1 वादिनी की आराजी पर कब्जा करके वादिनी को बेदखल भी कर सकता है। बेदखल होने का भय वादिनी के विवादित आराजी पर काबिज होने के संकेत है। अतः वादिनी के विवादित आराजी के अभिलिखित काश्तकार खातेदार होने तथा काबिज काश्त होने के कारण वाद वादिनी स्वीकार कर वादिनी के पक्ष में प्रतिवादी क्रम–1 के विरूद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि प्रतिवादी क्रम–1, वादिनी के ग्राम रांवठा, तहसील लाडपुरा की आराजी खसरा नम्बर 1204/235 रकबा 1.60 हैक्टर के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदालखत व मजाहगत नहीं करें तथा उक्त भूमि को काश्त करने से नहीं रोकें। उक्त भूमि की मेड को तोडने और कब्जा करने का प्रयास नहीं करें। उक्त कृत्य न तो स्वयं करे और न अपने प्रतिनिधि द्वारा ही करावें। तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा को राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करने के आदेश प्रदान किये जाते है।

6- निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 29 अक्टूबर, 2021 को मेरे द्वारा लिखवाया और टंकित करवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

Parthvi

(सुश्री पार्थवी)
सहायक कलक्टर,
(मुख्यालय), कोटा

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय), कोटा

पीठासीन अधिकारी– सुश्री पार्थवी, R.A.S.

बउनवान :–

1. श्रीमती राजरानी यादव पत्नी राजेश यादव, जाति यादव, निवासिनी 'श्रीफलम', केशवपुरा, रंगबाडी मेनरोड, कोटा जर्ये मुख्तारआम श्री राजेश यादव आत्मज श्री महावीर सिंह, निवासी 'श्रीफलम', केशवपुरा, रंगबाडी मेनरोड, कोटा

– (वादिनी)

बनाम

1. श्री रमेशचन्द शर्मा आत्मज श्री रामनारायण शर्मा, जाति ब्राहम्ण, निवासी ग्राम उम्मेदपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
2. राजस्थान राज्य, जर्ये तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

– (प्रतिवादीगण)

दावा बाबत : 188 RTA
मुकदमा नम्बर : 63/21
निर्णय दिनांक : 29/10-2021

GCMS id : 2021/101

न्यायालय हाजा में वादी की ओर से विद्वान वादी अभिभाषक श्री घनश्याम नागर, की उपस्थिति में वाद पत्र की बहस अन्तिम सुनने के बाद आज तारीख 29–10–2021 को (डिक्रीदार) पीठासीन अधिकारी सुश्री पार्थवी, आर.ए.एस. के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर वाद वादिनी स्वीकार कर वादिनी के पक्ष में प्रतिवादी क्रम–1 के विरूद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि प्रतिवादी क्रम–1, वादिनी के ग्राम रांवठा, तहसील लाडपुरा की आराजी खसरा नम्बर 1204/235 रकबा 1.60 हैक्टर के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदालखत व मजाहमत नहीं करें तथा उक्त भूमि को काश्त करने से नहीं रोकें। उक्त भूमि की मेड को तोडने और कब्जा करने का प्रयास नहीं करें। उक्त कृत्य न तो स्वयं करे और न अपने प्रतिनिधि द्वारा ही करावें। तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा को राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करने के आदेश प्रदान किये जाते है।

– खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

यह अन्तिम डिक्री आज तारीख 29.10.2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।

Parthvi

(सुश्री पार्थवी)
सहायक कलक्टर,
(मुख्यालय), कोटा

वाद के खर्चे

वादी			प्रतिवादी		
1.	वाद पत्र के लिये स्टाम्प	रूपया	1.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	रूपया
2.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प		2.	अर्जी के लिये स्टाम्प	
3.	अदर्शो के लिये स्टाम्प		3.	प्लीडर के लिये फीस	
4.	..... रूपये पर प्लीडर की फीस		4.	साक्षियो के लिये निर्वाह–व्यय	
5.	साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय		5.	आदेशिका की तामिल	
6.	कमिश्नर की फीस आदेशिका की तामिल		6.	कमिश्नर की फीस	
	जोड			जोड	